

SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA

प्रशिक्षण शिविरों का प्रबन्धन :-

1. एस0जी0एफ0आई0 भारतीय खेल मंत्रालय/भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरान्त रा ट्रीय/अन्तर्रा ट्रीय प्रशिक्षण शिविर साई सेन्टर पर लगायेगी।
2. एस0जी0एफ0आई0 कोचिंग कैम्प के स्थान, तिथि, समय, खिलाड़ियों की संख्या (नाम सहित) कोच, सहयोगी स्टाफ की संख्या नाम सहित खेल मंत्रालय/साई को अनुमोदन हेतु भेजेगी। सहयोगी स्टाफ में फिजियो, रेफरी आदि ामिल किये जायेंगे। अनुमोदन उपरान्त ही कैम्प लगाया जायेगा।
3. प्रत्येक कोचिंग कैम्प हेतु सम्भावित खिलाड़ियों का चयन रा ट्रीय प्रतियोगिताओं से किया जायेगा। विशेष ा परिस्थिति में चयन ट्रायल द्वारा किया जा सकेगा।
4. कोचिंग कैम्प में साई द्वारा खिलाड़ियों को फूड सप्लीमेन्ट, उपकरण, ट्रेनिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी।
5. कैम्प का स्थान निर्धारित होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा।
6. खिलाड़ियों को कैम्प की सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व दी जायेगी। मन्त्रालय/साई द्वारा विलम्ब किये जाने पर या किसी विशेष ा परिस्थितियों में उक्त नियम लागू नहीं होगा। कैम्प में उपस्थित खिलाड़ियों एवं कोच सहायक स्टाफ की टी0ए0 व्यवस्था उस दशा में साई द्वारा की जायेगी। जब कैम्प मन्त्रालय/साई द्वारा स्वीकृत होगा। अन्यथा की दशा में यह उत्तरदायित्व एस0जी0एफ0आई0 का होगा। एस0जी0एफ0आई0 अपनी यूनिटों से सहयोग लेगी।
7. नेशनल कोच कैम्प के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संस्तुति चयनसमिति एवं एस0जी0एफ0आई0 के महासचिव/अध्यक्ष को सौपेगा। उसके अतिरिक्त यदि कोई खिलाड़ी लगातार कैम्प में अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान

SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA

पर आरक्षित खिलाड़ियों में से न्यायिक तरीके से खिलाड़ी की संस्तुति करेगा।

चयनसमिति एवं कोचों का चयन :-

1. महासचिव/अध्यक्ष के द्वारा एस0जी0एफ0आई0 द्वारा लगाये गये कैम्प हेतु योग्य कोचों का चयन किया जायेगा।
2. महासचिव/अध्यक्ष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु टीम का चयन करने के लिए चयन समिति का निर्माण किया जायेगा। जिसमें योग्य खेल विशेषज्ञ रखे जायेंगे।
3. चयनसमिति में कम से कम तीन सदस्य रखे जायेंगे। चयन समिति में एक अवार्डी खेल विशेषज्ञ का होना आवश्यक है।
4. चयन प्रक्रिया हेतु मन्त्रालय/साई से पर्यवेक्षक भी माँगा जायेगा।
5. कोचों का चयन करने के उपरान्त मन्त्रालय/साई को अनुमोदन हेतु नाम भेजे जायेंगे।
6. टीम का चयन कोचों से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विचार विमर्श के उपरान्त चयन समिति करेगी। चयन करने के बाद चयन समिति गोपनीय रूप के बन्द लिफाफा महासचिव/अध्यक्ष एस0जी0एफ0आई0 को सौंपेगी।
7. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने से पहले जिन कोचों एवं सहयोगी स्टाफ को लगाया जायेगा। उन्हें टीम के साथ लगातार शिविर में रहना पड़ेगा।

सभी खेलों में चयनसमिति का प्रारूप इस प्रकार होगा :-

1. एस0जी0एफ0आई0 महासचिव/अध्यक्ष – चेयरमेन
2. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/अवार्डी खिलाड़ी – विशेषज्ञ सदस्य
3. एन0आई0एस0 कोच/इण्टरनेशनल रेफरी – सदस्य
4. एन0आई0एस0 कोच – सदस्य
5. भारत सरकार द्वारा नामित – पर्यवेक्षक

खिलाड़ियों का चयन :-

1. किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों में से किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में

SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA

- मन्त्रालय/साई का हस्तक्षेप विशेष 1 परिस्थितियों में ही होगा। चयन प्रक्रिया पर निगरानी के लिए एस0जी0एफ0आई0 महासचिव/अध्यक्ष अपने किसी पदाधिकारी को समन्वयक भी नियुक्त करेगा।
2. चयन प्रक्रिया हेतु खिलाड़ियों को सूचना सीधे/यूनिट के द्वारा कम से कम प्रतियोगिता से दो माह पूर्व दी जायेगी। विशेष 1 स्थिति में समय में सिथिलता दी जा सकेगी। चयन प्रक्रिया की सूचना मन्त्रालय/साई को भी दी जायेगी। साई का पर्यवेक्षक चयन प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा।
 3. व्यक्तिगत खेलों में चयन मानक की जानकारी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले ही खिलाड़ियों/मन्त्रालय/साई को दी जायेगी। एस0जी0एफ0आई0 की बेवसाइड पर भी अंकित की जायेगी।
 4. पर्यवेक्षक भेजने हेतु कम से कम 15 दिन पूर्व मन्त्रालय/साई को आवेदन कर दिया जायेगा। पर्यवेक्षक मन्त्रालय/साई को चयन के उपरान्त तत्काल रिपोर्ट भेजेगा।
 5. राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रत्येक खिलाड़ी की प्रगति रिपोर्ट महासचिव/अध्यक्ष एस0जी0एफ0आई0 एवं मन्त्रालय/साई को सौपेगा। खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेवसाइड पर भी डाला जायेगा।
 6. चयन करते समय, चयन-प्रक्रिया के साथ खिलाड़ी का पिछला एवं वर्तमान प्रदर्शन अंकित किया जायेगा। यदि किसी खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हो गया है तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा। यदि किसी खिलाड़ी पर संशय होता है तो खिलाड़ी को विश्वास में लेकर जानकारी की जायेगी। शिकायतों के निस्तारण हेतु एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जायेगी।
 7. यदि किसी टीम का अन्तिम रूप से चयन कर लिया जाता है तो विशेष 1 परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार से टीम में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि परिवर्तन किया जाता है तो कारण सहित सभी सम्बन्धित को सूचित किया जायेगा।